

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016

विषय:- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन 5.0586 हे० से अधिक भूमि के संक्रमण को प्राधिकृत किये जाने से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 89 की उपधारा (2) के अधीन 5.0586 हे० से अधिक भूमि का संक्रमण प्रतिबन्धित है, ताकि कोई भी व्यक्ति/संस्था आवश्यकता से अधिक भूमि का क्रय करके पुनः जमींदारी/सामंती व्यवस्था स्थापित न कर सके। उक्त अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार की अनुज्ञा के बगैर 5.0586 हे० से अधिक भूमि का संक्रमण धारा 104 के अधीन निष्प्रभावी होकर संक्रमण की विषय-वस्तु धारा 105 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो जाती है। संहिता की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन जनहित में विकास एवं अन्य योजनाओं/परियोजनाओं के लिए विहित सीमा से अधिक भूमि के संक्रमण हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है।

2. शासन के संज्ञान में समय-समय पर यह बात आई है कि संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा विहित सीमा से अधिक भूमि का संक्रमण शासन की अनुमति के बिना ही कर लिया जाता है। किसी भी व्यक्ति/संस्था को विहित सीमा 5.0586 हे० से अधिक भूमि के संक्रमण की अनुमति नहीं है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 के अधीन राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना 5.0586 हे० से अधिक भूमि का संक्रमण अधिनियम की व्यवस्था के विरुद्ध है। शासकीय नीतियों से आच्छादित जनहित में विहित सीमा से अधिक भूमि के संक्रमण की अनुमति प्रदान करने हेतु पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों/अधिसूचनाओं को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 की उपधारा (3) तथा उत्तर

प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 94 के आलोक में निम्नलिखित प्रक्रिया के निर्धारण की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

- (1) सम्बन्धित व्यक्ति/समिति/संस्था/उद्योग/कम्पनी द्वारा 5.0586 हे0 से अधिक भूमि क्रय करने के लिए शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को आवेदन-पत्र देना होगा। आवेदन-पत्र प्रारूप संख्या-1(क) में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को दिया जायेगा।
- (2) आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा सम्यक जांचोपरान्त संलग्न प्रारूप संख्या-1 की मद संख्या 1 से 9 में अपेक्षित सूचना संकलित करके उपलब्ध कराई जाएगी और भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि की आवश्यकता के मानक के अनुसार संक्रमण हेतु प्रस्तावित भूमि को इंगित करते हुए सम्बन्धित जिलाधिकारियों से भूमि से सम्बन्धित अन्य विवरण प्राप्त किए जायेंगे।
- (3) शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा सन्दर्भ किए जाने पर सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा जांचोपरान्त संलग्न प्रारूप संख्या-1 (ख) की मद संख्या 10 से 20 में सूचना उपलब्ध कराई जाएगी और अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ प्रस्ताव शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को अग्रसारित किया जाएगा।
- (4) सम्बन्धित जिलाधिकारियों से भूमि के संक्रमण से सम्बन्धित औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन के प्रशासकीय विभागों द्वारा विचारोपरान्त मत स्थिर किया जाएगा और संस्तुति के साथ प्रस्ताव शासन के राजस्व अनुभाग-1 को विचारार्थ सन्दर्भित किया जाएगा।
- (5) शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्व अनुभाग-1 द्वारा विचारोपरान्त औचित्य पाए जाने की दशा में 5.0586 हे0 से अधिक भूमि के संक्रमण की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत किए जाने से सम्बन्धित आदेश जारी किए जायेंगे।
- (6) संलग्न विवरण की मद संख्या 1 से 9 में अपेक्षित सूचना की शुद्धता तथा प्रमाणिकता का दायित्व शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों का और मद संख्या 10 से 20 की शुद्धता तथा प्रमाणिकता का दायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का होगा।
- (7) प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि जिस परियोजना के लिए भूमि दी जा रही है, उसका उपयोग/प्रयोग उसी परियोजना के लिए किया जाय। स्वीकृत परियोजना से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग न किया जाय तथा परियोजना निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर ली जाय।
- (8) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन विहित सीमा से

अधिक भूमि के संक्रमण की अनुमति के क्रम में संस्था द्वारा 05 वर्ष की अवधि में भूमि को क्रय कर लिया जाना आवश्यक होगा। यदि संस्था किन्हीं कारणों से भूमि क्रय नहीं कर पाती है, तो ऐसी दशा में राज्य सरकार पुनः भूमि के संक्रमण की अवधि एक-एक वर्ष के लिए अर्थात् 02 वर्ष के लिए बढ़ाने पर विचार कर सकती है, परन्तु समेकित अवधि 07 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (9) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 (2) के अधीन विहित सीमा 12.50 एकड़ से अधिक दी गयी भूमि के संक्रमण की अनुमति 07 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त स्वतः समाप्त समझी जायेगी। यदि संस्था को विहित सीमा से अधिक भूमि के संक्रमण की अपरिहार्यता हो, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन नये सिरे से अनुमति प्राप्त किया जाना होगा।

3. उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत धारा 89 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार की अनुज्ञा के बिना 5.0586 हे० से अधिक भूमि के संक्रमण को अवैध मानते हुए, इसे राज्य सरकार में निहित समझा जायेगा और अंतरिती के पक्ष में नामान्तरण तथा विनियमितीकरण नहीं किया जाएगा।

4. विभिन्न स्तरों पर विनिर्दिष्ट कार्यवाही के लिए निम्नलिखित समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा:-

- (1) भूमि के संक्रमण हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के भीतर संलग्न प्रारूप संख्या-1 भाग-क में उल्लिखित मदों पर सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर पर सूचना एकत्र करके उपलब्ध करायी जाएगी और प्रारूप संख्या-1 भाग-ख में उल्लिखित मदों में अपेक्षित सूचना सन्दर्भ प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर संकलित करके जिलाधिकारियों द्वारा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।
- (2) भूमि के संक्रमण हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तिथि से विलम्बतम 60 दिन के भीतर प्रशासकीय विभाग संस्तुति सहित प्रस्ताव राजस्व विभाग के विचारार्थ भेजेंगे और राजस्व विभाग सन्दर्भ प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर प्रकरण का निस्तारण करेंगे। यदि किसी स्तर पर प्रशासकीय विभाग/राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव में पायी गई किसी त्रुटि को दूर करने हेतु अथवा किसी जिज्ञासा के समाधान हेतु सन्दर्भ प्रति प्रेषित किया जाता है तो इस निमित्त व्यतीत हुई अवधि को ऊपर वर्णित काल सीमा में परिगणित नहीं किया जाएगा।

5. राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-742/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 219 के अधीन सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में मण्डलायुक्तों को उक्त अधिनियम की धारा

89 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति, यदि ऐसा संक्रमण केवल उद्योगों की स्थापना के प्रयोजन के लिए लोकहित में हो, प्रत्यायोजित की गयी है। इस प्रकार औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि के मानक के अनुसार केवल उद्योग की स्थापना के लिए लोकहित में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 की उपधारा (2) में यथाउल्लिखित 5.0586 हेक्टेअर से अधिक भूमि के संक्रमण की अनुमति मण्डलायुक्त द्वारा दी जायेगी, जो 05 वर्ष के लिए अनुमन्य होगी। यदि संस्था किन्हीं कारणों से भूमि क्रय नहीं कर पाती है, तो ऐसी दशा में राज्य सरकार द्वारा भूमि के संक्रमण की अवधि एक-एक वर्ष के लिए अर्थात् 02 वर्ष के लिए बढ़ाने पर विचार कर सकती है, परन्तु समेकित अवधि 07 वर्ष से अधिक नहीं होगी। औद्योगिकीकरण से भिन्न प्रयोजन हेतु संक्रमण की अनुमति मण्डलायुक्त द्वारा नहीं दी जायेगी।

6. हाईटेक टाउनशिप तथा इण्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु भूमि अर्जन या क्रय के प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार की प्रयोक्तव्य शक्ति अधिसूचना संख्या- 743 /एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में कार्यालय ज्ञाप संख्या-3872(1)/आठ-1-07-34विविध/03, दिनांक 17.09.2007 द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित की गयी है। इस प्रकार हाईटेक टाउनशिप तथा इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के प्रयोजन के लिए लोकहित में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 की उपधारा (2) में यथाउल्लिखित उत्तर प्रदेश में 5.0586 हेक्टेअर से अधिक भूमि के संक्रमण की अनुमति प्रदान करने की उक्त अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति, यदि ऐसा अंतरण सामान्य जनता के हित में हो, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति में प्रतिनिहित होगी।

7. हाईटेक टाउनशिप तथा इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अधीन भूमि क्रय/अर्जन की प्रक्रिया को सरलीकरण एवं समयबद्ध करने हेतु हाईटेक टाउनशिप नीति विषयक शासनादेश संख्या-4916/8-1-07-34विविध/03, दिनांक 27.08.2008 तथा इण्टीग्रेटेड टाउनशिप विषयक शासनादेश संख्या-1659/8-1-07-33विविध/03, दिनांक 27.08.2008 के क्रम में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन 5.0586 हे0 से अधिक भूमि के अर्जन या क्रय करने के लिए छूट दिये जाने के मामलों में निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार छूट अनुमन्य होगी :-

- (1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन छूट प्राप्त करने हेतु विकासकर्ता कम्पनी/कन्सॉर्शियम द्वारा सम्बन्धित शासकीय अभिकरण के साथ एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग) निष्पादन के उपरान्त निर्धारित संलग्न प्रारूप संख्या-2 (क) की मद संख्या 1 से 12 पर सूचना विकास प्राधिकरण के माध्यम से

जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। उपरोक्त कार्यवाही विकासकर्ता कम्पनी से विकास प्राधिकरण में प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 60 दिन में पूर्ण कर ली जायेगी।

जिलाधिकारी द्वारा उक्त सूचना को संलग्न प्रारूप संख्या-2 (ख) की मद संख्या 13 से 20 में सूचना के अनुसार अतिरिक्त सूचनाएं अंकित करते हुए अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को 03 प्रतियों में उपलब्ध कराया जायेगा। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार सूचनाएँ प्राप्त होने पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा बैठक से पूर्व उक्त सूचनाओं की एक प्रति राजस्व विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के अनुरूप उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन अनुमति पत्र राजस्व विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा जो 05 वर्ष के लिए अनुमन्य होगा। यदि विकासकर्ता किन्हीं कारणों से भूमि क्रय नहीं कर पाता है, तो ऐसी दशा में राज्य सरकार पुनः भूमि के संक्रमण की अवधि एक-एक वर्ष के लिए अर्थात् 02 वर्ष के लिए बढ़ाने पर विचार कर सकती है, परन्तु समेकित अवधि 07 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (2) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी परियोजना हेतु उतनी ही भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान करने की संस्तुति की जाय जितनी कि परियोजना के न्यूनतम मानकानुसार आवश्यक हो। परियोजना हेतु क्रय/अर्जन की गयी भूमि का उपयोग/प्रयोग परियोजना की शर्तों के अधीन ही किया जायेगा एवं उसके उल्लंघन की दशा में यह अनुमति नियमानुसार निरस्त कर दी जायेगी। उक्त अनुमति को निरस्त किये जाने से पूर्व विकासकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।
- (3) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस परियोजना के लिए भूमि दी जा रही है, उसका प्रयोग उसी परियोजना के लिए किया जाय। स्वीकृत परियोजना से भिन्न प्रयोजन हेतु उसका प्रयोग न किया जाय तथा परियोजना निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर ली जाय।
- (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार जिनकी भूमि परियोजना हेतु क्रय/अधिग्रहीत की जा रही है, उन्हें उसी परियोजना में विकासकर्ता कम्पनी द्वारा निर्मित/विकसित ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों/भूखण्डों के आवंटन में शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा।

- (5) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 (2) के अधीन विहित सीमा 12.50 एकड़ से अधिक दी गयी भूमि के संक्रमण की अनुमति 07 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त स्वतः समाप्त समझी जायेगी। यदि संस्था को विहित सीमा से अधिक भूमि के संक्रमण की अपरिहार्यता हो, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन नये सिरे से अनुमति प्राप्त किया जाना होगा।

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा  
प्रमुख सचिव

संख्या- (1)/एक-1-2016-20(5)/2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- (3) चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- (4) स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (6) निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी।
- (7) राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
- (8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन 5.0586 हे० से अधिक  
भूमि के संक्रमण को प्राधिकृत किये जाने के प्रस्ताव से सम्बन्धित विवरण

प्रारूप संख्या-1

(क) शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सूचना/अभिलेख

- (1) व्यक्ति/समिति/संस्था/उद्योग/कम्पनी का नाम व पूरा पता  
जिसके पक्ष में भूमि का संक्रमण किया जाना प्रस्तावित है  
(यदि आवेदक विधिक व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति का विस्तृत विवरण)-
- (2) परियोजना/उद्योग की अनुमानित लागत तथा उसकी पूर्ति  
किस प्रकार प्रस्तावित है-
- (3) प्रोजेक्ट रिपोर्ट-
- (4) भूमि का संक्रमण निम्नांकित में से किस प्रयोजन के लिए  
प्रस्तावित है:-
  - (क) पंजीकृत सहकारी समिति के लिए-
  - (ख) दानोत्तर प्रयोजन हेतु स्थापित संस्था के लिए-
  - (ग) जन साधारण के हित के लिए-
- (5) योजना का विन्यास (ले-आउट प्लान)-
- (6) औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि के संक्रमण की दशा में:-
  - (क) भारत सरकार द्वारा जारी आशय पत्र-
  - (ख) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनुज्ञा पत्र-
- (7) संक्रमण के लिए प्रस्तावित भूमि पर लगाए जाने वाले उद्योग का प्रकार-
- (8) परियोजना हेतु भूमि की मानकानुसार न्यूनतम निर्धारित आवश्यकता का प्रमाण-पत्र-
- (9) संक्रमण के लिए प्रस्तावित भूमि की स्थिति और उसका विवरण :-

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	खातेदारों की श्रेणी व जाति जिनसे भूमि क्रय की जानी है	खातेदार का नाम व पता
1	2	3	4	5	6	7	8

(ख) जिलाधिकारी द्वारा दी जाने वाली सूचना/उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेख।

- (10) क्या जिस प्रयोजन के लिए भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति निकटवर्ती गांव सभा/सीलिंग/अन्य सरकारी कृषि अयोग्य भूमि से की जा सकती है ?
- (11) क्या निकटवर्ती क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान, आवासीय परियोजना अथवा अन्य किसी परियोजना के तहत भूमि उपलब्ध है ?
- (12) अन्तरिती तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रदेश में पहले से ही धृत भूमि का:-
- (क) कुल क्षेत्रफल (हेक्टेअर में) -
- (ख) उपयोग किस प्रयोजन में किया जा रहा है ?
- (ग) भूमि के क्षेत्रफल तथा उपयोग के समर्थन में अन्तरिती का शपथपत्र -
- (13) भूमि के प्रस्तावित अन्तरण का प्रकार :-
- (क) विक्रय-पत्र
- (ख) दान-पत्र
- (14) क्या अन्तरिती के विरुद्ध धारा 89 (2) के उल्लंघन का कोई मामला विचाराधीन है अथवा नहीं ?
- (15) क्या भूमि के प्रस्तावित संक्रमण के फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में जन-साधारण पर किसी कुप्रभाव के पड़ने की सम्भावना है ? यदि हाँ तो स्वतः स्पष्ट तार्किक औचित्यपूर्ण सकारण टिप्पणी दी जाये-
- (16) क्या भूमि के प्रस्तावित संक्रमण से आस-पास में कानून और व्यवस्था की स्थिति कुप्रभावित होगी अथवा नहीं यदि हाँ तो स्वतः स्पष्ट तार्किक औचित्यपूर्ण सकारण टिप्पणी दी जाये-
- (17) क्या जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसके भू-स्वामी :-
- (1) अनुसूचित जाति के हैं ? यदि हाँ, तो उसकी जोत का क्षेत्रफल-
- (2) अनुसूचित जन-जाति के हैं ? यदि हाँ, तो उसकी जोत का क्षेत्रफल-
- (3) असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं ? यदि हाँ, तो उसकी जोत का क्षेत्रफल-



- (18) संक्रमण हेतु भूमि की स्थिति तथा उसका प्रमाणित विवरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार 6 प्रतियों में:-

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	खातेदारों की भौमिक श्रेणी जिसकी जोत भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है	खातेदार का नाम व पता
1	2	3	4	5	6	7	8

- (19) संक्रमण हेतु प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित खतौनी के प्रमाणित उद्धरण-

- (20) जनहित में अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की सकारण अभ्युक्ति तथा संस्तुति-

## प्रारूप संख्या-2

(क) हाईटेक टाउनशिप/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सूचना/उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेख

- (1) व्यक्ति/समिति/संस्था/कम्पनी का नाम तथा पूरा पता, जिसके पक्ष में भूमि का संक्रमण किया जाना प्रस्तावित है-
- (2) सम्बन्धित प्राधिकरण/उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में :-
  - (क) रजिस्ट्रेशन की तिथि-
  - (ख) लाइसेन्स की तिथि (यदि निर्गत हो)-
  - (ग) परियोजना की अनुमानित लागत तथा उसकी पूर्ति किस प्रकार प्रस्तावित है ?
- (3) प्रोजेक्ट रिपोर्ट (योजना का ले-आउट प्लान, लैंड यूज एनालिसिस, पहुँच-मार्ग, जल आपूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज तथा सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट सेवाओं के अनुरक्षण एवं रख-रखाव की व्यवस्था)-
- (4) भूमि का संक्रमण निम्नांकित में से किस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित है :-
  - (क) पंजीकृत सहकारी समिति के लिए-
  - (ख) दानोत्तर प्रयोजन हेतु स्थापित किसी संस्था के लिए-
  - (ग) जन साधारण के हित के लिए-
- (5) महायोजना के मानचित्र पर प्रस्तावित स्थल की स्थिति/साइटमैप-
- (6) क्या प्रस्तावित भूमि महायोजना के अन्तर्गत है ? हाँ/नहीं-
- (7) यदि प्रस्तावित भूमि महायोजना के अन्तर्गत है, तो महायोजना में भूमि किस उपयोग में दर्ज है-
- (8) परियोजना हेतु भूमि की मानकानुसार न्यूनतम निर्धारित आवश्यकता का प्रमाण-पत्र-
- (9) संक्रमण के लिए प्रस्तावित भूमि की स्थिति और उसका विवरण :-

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	खातेदारों की भौमिक श्रेणी जिसकी जोत भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है	खातेदार का नाम व पता
------	-------	-------	-------	-------------	-----------------------------	--	-------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

- (10) परियोजना हेतु कितनी न्यूनतम भूमि की आवश्यकता है तथा उसके सापेक्ष कितनी भूमि का क्रय/अधिग्रहण प्रस्तावित है ?
- (11) विकासकर्ता कम्पनी द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र दिया जाय कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार जिनकी भूमि परियोजना हेतु अधिग्रहीत की जा रही है, उन्हें उसी परियोजना में विकासकर्ता द्वारा निर्मित/विकसित ई0डब्लू0एस0/ एल0आई0जी0 भवनों/भूखण्डों के आवंटन में शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा-
- (12) विकासकर्ता कम्पनी द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र दिया जाय कि भूमि का प्रयोग उसी परियोजना के लिए किया जायेगा जिस परियोजना के लिए शासन से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन अनुमति प्राप्त की जा रही है। स्वीकृत परियोजना से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का प्रयोग नहीं किया जायेगा। परियोजना निर्धारित अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी-

**जिलाधिकारी द्वारा दी जाने वाली सूचना/उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेख**

- (13) भूमि के प्रस्तावित अन्तरण का प्रकार :-

(क) विक्रय-पत्र

(ख) दान-पत्र

- (14) क्या अन्तरिती के विरुद्ध धारा 89 (2) के उल्लंघन का कोई मामला विचाराधीन है अथवा नहीं ?

- (15) क्या भूमि के प्रस्तावित संक्रमण के फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में जन-साधारण पर किसी कुप्रभाव के पड़ने की सम्भावना है ? यदि हाँ तो स्वतः स्पष्ट तार्किक औचित्यपूर्ण सकारण टिप्पणी दी जाये-

- (16) क्या भूमि के प्रस्तावित संक्रमण से आस-पास में कानून और व्यवस्था की स्थिति कुप्रभावित होगी अथवा नहीं ? यदि हाँ तो स्वतः स्पष्ट तार्किक औचित्यपूर्ण सकारण टिप्पणी दी जाये-

- (17) क्या जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसके भू-स्वामी :-

(1) अनुसूचित जाति के है ? यदि हां, तो उसकी जोत का क्षेत्रफल-

(2) अनुसूचित जन-जाति के है ? यदि हां, तो उसकी जोत का क्षेत्रफल-

(3) असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर है ? यदि हां, तो उसकी जोत का क्षेत्रफल-

(18) संक्रमण हेतु भूमि की स्थिति तथा उसका प्रमाणित विवरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार :-

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	खातेदारों की भौमिक श्रेणी जिसकी जोत भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है	खातेदार का नाम व पता
1	2	3	4	5	6	7	8

(19) संक्रमण हेतु प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित खतौनी के प्रमाणित उद्धरण-

(20) जनहित में अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की सकारण अभ्युक्ति तथा संस्तुति-

.....